संख्याः 22/2019/1979/33-3-2019-11/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक- 27 अगस्त, 2019

विषयः- पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित बहु उद्देशीय पंचायत भवन निर्माण योजना, अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि के आहरण एवं उपभोग में लोक वित्त प्रबन्ध तंत्र (पी.एफ.एम.एस.)लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या-शा0/ 8/2376/2019-20/16/2019-20 दिनांक 16.07.2019 व पत्र संख्या-शा0/ 8/2493/2019-20/16/2019-20 दिनांक 09.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंचायती राज विभाग की योजनाओं को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से संचालित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि श्री संजीब पटजोशी, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एम-11015/307/2017-एफ0डी0, दिनांक-20.03.2018 तथा विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-19011(16)/8/2016- ई0-पंचायत, दिनांक-17.04.2018 द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के हस्तान्तरण एवं ग्राम पंचायतों में व्यय लोक वित्त प्रबन्ध तंत्र (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश की 58,724 ग्राम पंचायतों के खातों का पी0एफ0एम0एस0 पर रजिस्ट्रेशन कराया गया और 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय किश्त तथा 2019-20 की प्रथम किश्त की धनराशि का ग्राम पंचायतों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सफलतापूर्वक हस्तान्तरण किया गया।

3- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि का आवंटन वित्त विभाग द्वारा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों की धनराशि सीधे जिला पंचायत राज अधिकारी को आवंटित की जाती है, उक्त आवंटित धनराशि का बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के खातों में हस्तान्तरित की जाती है। जिला पंचायतों के लिये धनराशि निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को आवंटित की जाती है। निदेशक पंचायती द्वारा धनराशि आहरण कर जिला पंचायत के खातों में हस्तान्तरित की जाती है। आवंटित धनराशि का त्रैमासिक आहरण किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि जनपदों में धनराशि का समय से हस्तान्तरण न हो पाने के कारण ग्राम पंचायतों में कार्य बाधित होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों द्वारा उपभोग किये जा रहे भारत सरकार के विभिन्न साॅफ्टवेयर यथा प्लान प्लस, एक्शन साॅफ्ट एवं प्रिया साॅफ्ट के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का आंकलन किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रिया साॅफ्ट और पी0एफ0एम0एस0 के इन्टीग्रेशन के उपरान्त 14वें वित्त आयोग की धनराशि का भुगतान डी0एस0सी0 के माध्यम से किया जाना है। चूंकि उक्त सभी योजनाओं की धनराशि एक ही खाते मे अन्तरित की जाती है, ऐसी स्थिति मे ग्राम निधि-1 मे डी0एस0सी0 से भुगतान की प्रक्रिया लागू करने के उपरान्त, पंचायत भवन एवं अन्त्येष्टि स्थल निर्माण तथा राज्य वित्त की धनराशि का चेक के माध्यम से किये गये भुगतान के बाउचर्स की प्रविष्टि प्रिया साफ्ट पर किया जाना सम्भव नही है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के क्रम मे मुझे प्रश्नगत योजनाओं को राज्य में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक वित्त प्रबन्ध तंत्र (पी.एफ.एम.एस.) तथा आॅन-लाइन अनुश्रवण हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें-

(1) निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गई राज्य वित्त आयोग, अंत्येष्टि स्थल एवं पंचायत भवन निर्माण की धनराशि कोषागार से आहरित कर सीधे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के खातों मे पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। इस हेतु निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0, कोषागार, पी.एफ.एम.एस.की राज्य इकाई और केन्द्रीय इकाई तथा राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी से समन्वय स्थापित कर धनराशि के हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(2) निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 पी.एफ.एम.एस. की राज्य इकाई से समन्वय स्थापित कर राज्य वित्त आयोग, पंचायत भवन निर्माण एवं अन्त्येष्टि स्थल निर्माण की स्कीम क्रियेट करायेंगें तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर प्रिया साफ्ट पर भी स्कीम क्रियेट कराकर उसे पी.एफ.एम.एस.से इन्टीग्रेट करायेंगे।

(3) निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 राज्य वित्त आयोग, पंचायत भवन निर्माण एवं अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों मे उक्तानुसार यथावश्यक संशोधन करायेंगें।

(4) उपर्युक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अनुदान/योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का व्यय पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ही किया जाय।

(5) निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गई उक्त योजनाओं की कोई भी धनराशि किसी भी दशा मे कोषागार से आहरित कर बैंक खाते मे नही रखी जायेगी।

(6) उक्त समस्त कार्यवाही 15 सितम्बर तक अनिवार्य रुप से पूर्ण कर ली जाय।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव एवं स्टाॅफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. सहायक राज्य नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।